संख्या-108/2025/I/968735/2025/71-1001/15/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 23 मई, 2025**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में डॉ0 भीमराव रामजी अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज परिसर में हृदय रोग अस्पताल के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2024-25/412, दिनांक 20.01.2025 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डॉ0 भीमराव रामजी अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज (पूर्व नाम राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज) परिसर में हृदय रोग अस्पताल के निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रू0 13089.75 लाख का मूल्यांकन/परीक्षण कराते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज परिसर में हृदय रोग अस्पताल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-640/71-1-2013-जी-476/2012, दिनॉक 30-03-2013 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 3705.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। लागत दरें पुनरीक्षित होने के कारण दिनॉक 19-10-2015 को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में उक्त प्रायोजना की कुल लागत रू0 13356.25 लाख पुनरीक्षित की गयी थी एवं तदनुरूप शासनादेश दिनॉक 02-02-2016 द्वारा उसकी प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। इस प्रकार पुनरीक्षित लागत रू0 13356.25 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा अब तक कुल 12688.44 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-640/71-1-2013-जी-476/2012, दिनॉक 30-03-2013	50.00
2	शासनादेश संख्या-1339/71-1-13-जी-476/2012, दिनॉक 07-06-2013	1000.00
3	शासनादेश संख्या-718/71-1-2014-जी-476/2012, दिनॉक 25-03-2014	500.00
4	शासनादेश संख्या-2288/71-1-2014-जी-476/2012, दिनॉक 08-08-2014	1154.73
5	शासनादेश संख्या-48/2825/71-1-2014-जी-476/2012, दिनॉक 25-11-2014	425.30
6	शासनादेश संख्या-113/2015/912/71-1-2015-जी-476/2012, दिनॉक 21-05-2015	575.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7	शासनादेश संख्या-11/2016/2791/71-1-2015-जी-476/2012, दिनॉक 02-02-2016	1106.52
8	शासनादेश संख्या-18/2016/304/71-1-2016-जी-476/2012, दिनॉक 04-02-2016	318.15
9	शासनादेश संख्या-138/2016/1510/71-1-2016-जी-476/2012, दिनॉक 09-06-2016	5988.10
10	शासनादेश संख्या-42/2018/723/71-1-2018-जी-476/2012, दिनॉक 15-03-2018	350.00
11	शासनादेश संख्या-141/2020/4181 /71-1-2020-जी-476/2012 दिनॉक 18.11.2020	818.15
12	शासनादेश संख्या-94/2021/।/70266/2021/71-1001/15/2020, दिनांक 12.06.021	402.16
	योग-	**12688.44**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **डॉ0 भीमराव रामजी अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज परिसर में हृदय रोग अस्पताल के निर्माण कार्य** हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत **रू0 13046.52 लाख (रू0 एक अरब तीस करोड़ छियालिस लाख बावन हजार मात्र)** की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. प्रयोजनान्तर्गत कैथलैब का कार्य प्रस्तावित है। अत: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, हृदय रोग संस्थान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी भी सदस्य के रूप में नामित किये जाए। इस समिति की देख-रेख में प्रायोजना का निर्माण कार्य कराया जाए।

2. महानिदेशक/चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा कैथलैब के संचालन एवं मेंटीनेन्स इत्यादि हेतु समस्त आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित कर लिये जाए जिससे प्रायोजना के प्रस्तावित आउट कम प्राप्त हो सके।

3. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गई है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रयोजना मे उपयोग की गयी सामग्री (CONSUMED) यथा-सीमेंट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाए।

4. प्रायोजनान्तर्गत कैथलैब की लागत बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है, इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस कार्य हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एंव स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।

5. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।

7. प्रस्ताव का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एंव तद्नुसार प्रस्तावित प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

9. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/निदेशालय के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

11. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12. प्रयोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-549/दस-2024-25, दिनांक 29 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज कन्नौज।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।